(83)

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष-सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

प्रक.क्र.------/निगरानी/2016-17 R 1404-II-17

शिवराम जाट आयु.50 साल पुत्र धन्नाजी जाट

निवासी ग्राम पलासीकलां तहसील नसरूल्लागंज

जिला सीहोर (म.प्र.) ---------------निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1/कपिल कुमार पुत्र जगदीशप्रसाद जाट वयस्क

निवासी ग्राम पलासीकलां तहसील नसरूल्लागंज

2/मिन्दूलाल पुत्र सोहनलाल गौंड वयस्क निवासी

ग्राम पलासीकलां तह.नसरूल्लागंज जिला सीहोर।

3/म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला सीहोर-----------रेस्पान्डेन्टस.

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं.-1959

विरूद्ध आदेश दिनांक 1/5/2017 प्र.क्र.19/अपील/2014-15

कपिल कुमार विरूद्ध श्रीराम पारित द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी महोदय तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर (म.प्र.)
=-=

महोदय,

निगरानीकर्ता माननीय अधि0अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से असंतुष्ट व दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एंव विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है:-

-: प्रकरण के तथ्य :-

1:- यहकि अधि.अपीलीय न्यायालय के समक्ष रैस्पान्डेन्ट कपिल कुमार ने प्र.क्र.1/अ-55/14-15 में पारित आदेश दिनांक 2/1/2015 वास्ते पटैली पद पर नियुक्ति आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश के 52 दिन पश्चात प्रस्तुत की और नियुक्ति आदेश को चुनौती दी।

2:- यहकि अधि.अपीलीय न्यायालय ने रैस्पान्डेन्ट क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 5-अवधि विधान दिनांक 24/2/2016 का उत्तर निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 6/3/2017 कोप्रस्तुत करने पश्चात दिनांक 1/5/2017 को उक्त आवेदनपत्र स्वीकार कर प्रकरण गुण दोषों

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 1404–दो/17 जिला–सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
05–6–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 गुरौदिया के तर्क सुने। उनके द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीहोर का प्रकरण कमांक 19/अपील/2014–15 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 1.5.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक ने प्रकरण कमांक 1/अ–55/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 2.1.2015 द्वारा पटेली नियुक्ति आदेश के 52 दिन पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर कलेक्टर जिला सीहोर द्वारा धारा–5 का आवेदन दिनांक 1.5.2017 को स्वीकार किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवादित रूप से रिकार्ड पर उपलब्ध रहे हैं। अपीलीय प्रकरण 52 दिन पश्चात प्रस्तुत किया गया है जो 22 दिन के विलंब से प्रस्तुत होने से अवधि बाधित है जिसे क्षमा किये जाने हेतु दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्टीकरण आवेदन पत्र धारा –5 में नहीं दिया हे इस	

कारण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में उनके द्वारा तर्क किया गया है कि अनावेदक को आदेश की जानकारी थी इसलिये आवेदक ने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

3—आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सूचना अभिलिखित नहीं है। इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा उदारतापूर्वक विलंब मांफ किया जाना चाहिये और अपर कलेक्टर द्वारा विलंब मांफ करने में कोई त्रुटि नहीं की है। वैसे भी प्रकरण अभी वहां पर संचालित है और आवेदक को अभी गुणदोष पर सुना जाना है इसलिये आवेदक की निगरानी में कोई बल नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य